

# कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

## निविदा



## 2020—21

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के लिये विशेष जांचे जो चिकित्सालय के पैथालाजी एवं माइक्रोबायलाजी विभाग में नहीं होती हैं उन्हे आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु ई—निविदा

(द्वितीय आमंत्रण)

कीमत रु. 5000 /—  
(रुपये पाँच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक— 30 / 2020—21

## ONLINE TENDER SCHEDULE

ई—निविदा विज्ञप्ति क 30/2020—21

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	10-08-2020 11.00 AM	31-08-2020 5.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	10-08-2020 11.00 AM	31-08-2020 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	10-08-2020 11.00 AM	01-09-2020 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	02-09-2020 12.30 PM onwards	—	ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	02-09-2020 12.30 PM onwards	—	ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	IkFkd Is I puk nh tkoskhA	—	

ई—मेल:— [jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com](mailto:jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com), Fax-07662—242104  
 संपर्क:— 07662—242104,+91—9179705483,+91—9644695933,+91—8827730393,

निविदाकार जो ऑनलाईन दस्तावेज पोर्टल में अपलोड करें उन्ही दस्तावेजों की हार्डकॉपी भी दिनांक 01.09.2020 को सायंकाल 05.00 बजे तक कार्यालय संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय में जमा करें।

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:—

1. धरोहर राशि रूपये 1,00,000.00 ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)
3. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन।
4. वित्तीय वर्ष, 2017—18 एवं 18—19 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
5. 100 रु. के नान—ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटराईज्ड
6. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।

7. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 10.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2018–19)
8. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लैब सर्टिफिकेशन/रजिस्टशन की छायाप्रति जो वर्ष 2020 या आगे तक वैध हो।
10. कन्सल्टेंट पैथालॉजिस्ट का मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी जीवित पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति
11. एन.ए.बी.एल./आई.एस.ओ. का प्रमाण पत्र जो 2020 या आगे तक के लिये वैध हो।

**चिकित्सालय में विशेष जांचे जो चिकित्सालय के पैथालॉजी एवं माइक्रोबायलॉजी विभाग में नहीं होती हैं उन्हे आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु नियम एवं शर्तें**

1. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय में विशेष जांचे जो चिकित्सालय के पैथालाजी एवं माइक्रोबायलाजी विभाग में नहीं होती हैं उन्हे आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु ई-निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर कर्य किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाईट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म कर्य करने का मूल्य रु. 5000.00 (पांच हजार मात्र) निर्धारित है यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 100000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
5. कृपया प्राईस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन कर्य किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर प्रस्तुत करना होगा।
7. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
9. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. सेम्पल कलेक्शन हेतु सफल निविदाकार को आवश्यक किट(पीपीई. किट्स सहित) केमिकल एवं अन्य जो भी सामग्री आवश्यक है वह स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करानी होगी। इसकी अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।

11. आवश्यकतानुसार भर्ती मरीजों का सेम्पल बेड साइड से ही लेना होगा, एवं उनकी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संबंधित विभाग को जहां से सैम्पल प्राप्त किया गया है को देना अनिवार्य होगा। आउट सोर्स के माध्यम से कराई जाने वाली जांचें भर्ती मरीजों जो प्रदेश शासन द्वारा लागू आयुष्मान योजना एंवं अन्य योजना के हितग्राही जिन्हे राज्य शासन द्वारा निःशुल्क जांच उपचार की पात्रता दी गई है, केवल उन्हीं की जांच भुगतान हेतु मान्य होगी। ए.पी.एल. मरीज एवं समस्त शासकीय कर्मचारी, चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयीन स्टाफ स्वयं भुगतान करेंगे। इनसे राशि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। सभी विषयों में स्वयं रोगी तथा निविदाकार उत्तरदायी होंगे। मरीजों की जांच के लिये सेम्पल निविदाकार द्वारा नियुक्त योग्यताधारी(DMLT,BMLT,MMLT) कर्मचारी जो पैरामेडिकल काउन्सिल भोपाल में पंजीकृत हो द्वारा ही लिया जावेगा एवं उस पर मरीज के नाम, जांच, इत्यादि का लेबल लगाने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। इसमे किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
12. सफल निविदाकार को कार्य में लगाये गये कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी जिसमे नाम, पता शैक्षणिक योग्यता उम्र व प्रशिक्षण आदि हो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करानी होगी।
13. निविदाकार को सैम्पल कलेक्शन हेतु भेजे गए कर्मचारियों को यूनिफार्म एवं फोटोयुक्त परिचय पत्र स्वयं के व्यय पर बनवा कर देना होगा तथा वह निर्धारित यूनिफार्म तथा परिचय पत्र के साथ ही सैम्पल कलेक्शन कर सकेगा।
14. निविदाकार को निविदा में स्वीकृत दर के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जी.एम.एच.रीवा के यहां आवश्यक दस्तावेजों के साथ देयक प्रस्तुत करना होगा जिसका सत्यापन नोडल अधिकारी से कराने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा इस मद मे बजट आवंटन उपलब्ध कराने पर ही भुगतान कोषालय के माध्यम से ई—पेमेंट के जरिये किया जावेगा। बजट के अभाव मे भुगतान मे विलंब होने की स्थिति मे इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और न ही निविदाकार द्वारा मांग की जावेगी।
15. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति शासन/जनहित में आवश्यकतानुसार करार पत्र मे कोई अतिरिक्त कंडिका का समावेश निविदाकार की सहमति से कर सकेगी।
16. प्रारंभिक तौर पर निविदा 01 वर्ष के लिये होगी। निविदा की अवधि का विस्तार भी किया जा सकता है जिसका पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को होगा। जब कभी चिकित्सालय में कोई जांच होने लगेगी तो वह सूची से विलोपित मानी जावेगी अर्थात यह जांच नहीं कराई जावेगी।
17. सफल निविदाकार के किसी भी कर्मचारियों के द्वारा शासकीय योजना के जांच एवं उपचार हेतु पात्र हितग्राही मरीजों से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं लिया जाना है यदि ऐसा करना पाया जाता है तो ठेका निरस्त किया जा सकेगा तथा अर्थदण्ड भी लगाया जायेगा तथा उसकी वसूली निविदाकार के देयक से की जा सकेगी।
18. सफल निविदाकार द्वारा प्रतिदिन सेम्पल कलेक्शन का रिकार्ड स्वयं के व्यय पर कम्यूटर मे संधारित किया जावेगा जिसकी माहवार जानकारी साफ्ट एवं हार्ड कापी के रूप मे नोडल अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जानकारी उपलब्ध कराने पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा।

19. लैबोट्री मे कार्य करने के लिये आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की योग्यता एम.सी.आई. एवं म.प्र. पैरा मेडिकल काउन्सिल के मापदण्डों के अनुसार होना चाहिये तथा सभी का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
20. जांच रिपोर्ट में ब्रुटि/गलत रिपोर्टिंग किए जाने के कारण यदि मरीज के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है या उससे कोई नुकसान होता है तो इसके लिए उपचार करने वाला चिकित्सक/स्टाफ जिम्मेदार न होकर उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही के लिए निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
21. निविदाकार के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लैबोरेटरी संचालित करने का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
22. जिस विभाग मे मरीज उपचार के लिये भर्ती होगा उस विभाग के संबंधित कन्सल्टेंट चिकित्सक के द्वारा जांच हेतु रिक्यूजीशन फार्म दिये जाने पर ही जांच हेतु सैम्प्ल का कलेक्शन लिया जावेगा । रिक्यूजीशन फार्म मे संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष का प्रतिहस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा ।
23. निविदाकार को उसके स्वयं की लैब में की जाने वाली जांचों की सूची तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
24. आंतरिक रोगियों के अतिरिक्त केवल जी.एम.एच./एस.जी.एम.एच. के बाह्य रोगियों की भी जांच के सैम्प्ल लिये जाकर स्वीकृत दर पर जांच करनी होगी । जिनका भुगतान बाह्य रोगी मरीज द्वारा स्वयं किया जावेगा । बाह्यरोगी मरीज के जांच शुल्क के भुगतान की जवाबदारी चिकित्सालय प्रबंधन की नहीं होगी ।
25. निविदाकार द्वारा सभी मरीजों की जांच दरें निविदा मे स्वीकृत अनुसार एक समान दर से ली जावेगी । अर्थात् शासन के योजना के भर्ती हितग्राही तथा बाह्य रोगी एवं ए.पी.एल हितग्राहियों के दरें एक समान होगीं ।
26. निविदाकार जांच पैथालाजी, माइक्रोबायलाजी को वर्तमान वर्ष मे एन.ए.बी.एल./आई.एस.ओ. गुणात्मक मानक प्राप्त होना चाहिये । यदि वर्तमान वर्ष का मानक आवेदन प्रक्रिया में है तो पिछले वर्ष 2019 का गुणात्मक मानक प्राप्त होना चाहिये ।
27. सफल निविदाकर सामान्यतः चिकित्सालय के रोगियों की वह जांच नहीं करेंगे जो कि चिकित्सालय मे सामान्य रूप से की जा रही है । विशेष रूप से विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर अस्पताल की कोई जांच निविदाकार से कराई जा सकती है । किसी विशेष जांच अथवा हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड में द्वितीय विशेषज्ञ अभिमत यदि आवश्यक हो तो विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से जांच निविदाकार से कराई जा सकेगी ।
28. सभी अनिवार्य दस्तावेज अनिवार्य रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा । यदि तकनीकी बिड में मांगे गए अनिवार्य दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी/असमानता पाई जाती है तो निविदा निरस्त की जाने योग्य होती तथा इस हेतु कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा ।
29. चिकित्सालय की आवश्यकतानुसार जांचों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है ।
30. यदि निविदाकार स्थानीय स्तर की लैब को जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो को सैम्प्ल कलेक्शन/जांच हेतु अधिकृत किया जाता है तो उसे निविदाकार द्वारा दिया गया ऑथराईजेशन लेटर (लेटर हेड पर ) तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

31. सफल निविदाकार की जांच रिपोर्ट मे गलती या बदलाव होने की स्थिति मे (एम.एल.सी./नॉन एम.एल.सी.) समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा इसके लिए विधि सम्मत कार्यवाही निविदाकार के विरुद्ध की जायेगी।
32. निविदाकार यदि किसी बड़े पैथालाजी लैब समूह अथवा लैब का अधिकृत प्रतिनिधित्व करता है तो उसे अधिकृत लैब/लैब समूह का नाम, पता, पूर्ण विवरण तथा उसका पंजीयन, प्राप्त गुणवत्ता मानक (**ISO/NABL**), अधिकृत करने का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह भी स्पष्ट करना होगा कि कौन सी जांचे निविदाकार की मूल लैब में एवं कौन सी जांचें अधिकृत लैब में होंगी।
33. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत भर्ती कोविड-19 मरीजों एवं कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की वे जांचे जिनकी सुविधा चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होगी, वे भी निविदाकार द्वारा की जावेगी। इस हेतु आवश्यक व्यवस्था जैसे—पी.पी.ई. किट एवं सैम्पल्स का निस्तारण इत्यादि की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। किसी भी कोविड वार्ड में भर्ती मरीज के सैम्पल लेने से निविदाकार के इंकार करने पर श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को अर्थदण्ड/निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा। कोविड वार्ड के सैम्पल लेने प्रोसेस करने एवं सैम्पल के निष्ठारण करने हेतु आई.सी.एम.आर., केन्द्र/राज्य शासन के समस्त दिशानिर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि/लापरवाही होने के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
34. विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों की जांच हेतु जो सैम्पल प्राप्त किए जावेंगे, उसे ले जाने के पहले नियुक्त नोडल अधिकारी के यहां प्रविष्टि कराकर ही ले जाना होगा ताकि जांच उपरांत देयक प्राप्त होने पर सत्यापन में सुविधा हो।
35. सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थिति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

## तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः— बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें।		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 100000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)				
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
4	वित्तीय वर्ष, 2017–18 एवं 18–19 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।				
5	100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटराइज्ड				
6.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
7.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 10.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2018–19)				
8	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
9	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लैब सर्टिफिकेशन/रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जो वर्ष 2020 या आगे तक वैध हो।				
10	कन्सल्टेंट पैथालॉजिस्ट का मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा जारी जीवित पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति				
11	एन.ए.बी.एल./आई.एस.ओ. का प्रमाण पत्र जो 2020 या आगे तक के लिये वैध हो।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर .....  
निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों)  
संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील .....

## घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(100/-रूपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये )

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. मेरे/हमारे के विरुद्ध राज्य/केन्द्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है।
9. मेरी/हमारी संस्था के विरुद्ध न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है।
10. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम.....

व पता.....

पता.....

2. गवाह का नाम.....

संस्था का नाम एवं पता.....

.....व पता .....

.....

## List of Diagnostic Tests

S. No	Name of Tests	Rates	GST	Total
01	TSH			
02	FT3,FT4,TSH			
03	Prostate Specific Antigen(PSA)			
04	CA- 125			
05	CA- 15-3			
06	CA-19-9			
07	B- HCG			
08	CEA			
09	S. Prolactin			
10	S. Lactate Dehydrogenase (LDH)			
11	CPK- MB			
12	TORCH Test (IgG+IgM)			
13	Typhoid -ELISA (IgM)			
14	Anti CCP			
15	Autoimmune Panel ( ANA+ Anti ds DNA +Anti RO +Anti LA)			
16	Anti TTG			
17	Hepatitis B Panel ( HBV DNA + HBeAg + Anti HBeAb + HbsAg Quantitative )			
18	Hepatitis C Panel (Anti HCV + HCV RNA)			
19	HLA B27			
20	HbA1c Estimation (By HPLC)			
21	PT, INR,			
22	aPTT			
23	Hb HPLC analysis			
24	Iron Deficiency Anaemia Profile (CBC+ S.Iron+ S. Ferritin + S. TIBC)			
25	MegaloblasticAnaemia Profile (CBC, Vit. B12, Folic Acid)			
26	Anti Streptolysin – O (ASO) Titre { Quantitative}			
27	Antiphospholipid Antibody (APLA) –IgG			
28	Antiphospholipid Antibody (APLA) –IgM			
29	Anti TPO Antibodies			
30	Beta 2 Microglobulins			
31	D- Dimer (Quantitative)			
32	Immunoglobin – E (Quantitative)			
33	S.Lithium			
34	Micro-albumin (24 hr Urine/ Morning sample)			
35	RA Factor (Quantitative)			
36	S. Amylase			
37	S. Lipase			
38	ELISA for NS1 + IgM Dengue			
39	ELISA for Chikunguniya (IgM)			
40	Fungal Culture and Sensitivity			

41	C- Reactive Protein ( Quantitative)			
42	hs- CRP			
43	Factor VIII & Factor IX ( Quantitative)			
44	S. Electrophoresis			
45	Alfa Fetoprotein (AFP)			
46	C- peptide (Quantitative)			
47	S.Ferritin			
48	Interleukin- 6(IL-6)			
49	Troponin-I (Quantitative)			
50	Pro-calcitonin (Quantitative)			
51	Fibrin degradation product(FDP) Quantitative			

fufonkdrk@192.168.1.10  
uke, oaiwkrkirk | &Fkk dh Ihy